

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 36 / 2022 दिनांक : 07.01.2022

सुश्री नेहा मौर्य (RJ1404), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ (भीलवाड़ा) को दिनांक 07.02.2022 से 25.02.2022 तक 19 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 06.02.2022 एवं 26.02.2022 से 27.02.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री मौर्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ (भीलवाड़ा) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ (भीलवाड़ा) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
06.01.2022
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/157/2020/167

दिनांक : 07.01.2022

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 16739 दिनांक 13.12.2021 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री नेहा मौर्य (RJ1404), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ (भीलवाड़ा)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ (भीलवाड़ा)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ (भीलवाड़ा)।

सहायक रजिस्ट्रार